न्याया0–विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.),जबलपुर म0प्र0

विशेष सत्र प्र.कं. 234/2019
आई.ए.कं. 439/2/2022
फाईलिंग दिनांक 03.11.2022

अनुराग उर्फ छोटू परस्ते पिता श्री स्व0कैलाश सिंह
निवासी–हलवाई बादशाह मंदिर, ग्वारीघाट रोड
जिला–जबलपुर (म.प्र.)

आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा
आरक्षी केन्द्र ग्वारीघाट,
जिला जबलपुर (म.प्र.)

अनावेदक

05.11.2022

आवेदक/आरोपी अनुराग उर्फ छोटू परस्ते न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल में निरूद्ध है, उसकी ओर से श्री एस. के.मिश्रा, अधिवक्ता उपस्थित।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती कृष्णा प्रजापति उपस्थित।

पीड़ित नरेंद्र अहिरवार को जारी नोटिस तामील शुदा वापस प्राप्त है। पीड़ित ने आज न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर आपत्ति व्यक्त करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह दिनांक 4.9.2019 को बीमार था, इस कारण वह उपस्थित नहीं हो सका था। आवेदक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः उसे जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत की शर्तों का दुरूपयोग करते हुए अनुपस्थित हो जाने तथा विचारण विलंबित होने के आधार पर जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 18.07.2022 को अनुपस्थिति के फलस्वरूप अभियुक्त के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। चूंकि प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः आवेदन में वर्णित कारण को ध्यान में रखते

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010315662019-orderno-2.pdf

हुए अभियुक्त को पुनः जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत होता है किंतु आवेदक की ओर से अनुपस्थिति का जो कारण दर्शाया गया है वह उचित प्रतीत नहीं होता है। आवेदक/आरोपी को मुचलका जप्ती के संबंध में सुना जाकर, आवेदक की अनुपस्थिति अवधि को दृष्टिगत् रखते हुए, आवेदक के पूर्व के मुचलके में से 500/–(पांच सौ) रूपये की राशि राजसात की जाती है, शेष राशि माफ की जाती है।

फलतः आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आवेदक की ओर से राजसात मुचलके की राशि 500/–(पांच सौ) रूपये जमा किये जाने एवं 50,000/– (पचास हजार) रूपये की नवीन जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र इस न्यायालय की संतुष्टि योग्य इस आशय का पेश किये जाने पर कि वह तथाकथित अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं नियत पेशी पर आवश्यक रूप से उपस्थित रहेगा तो उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

प्रकरण पूर्ववत् साक्ष्य हेतु दिनांक 05.12.2022 को पेश हो।

(सुनील कुमार जैन)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0एस0टी0)
जबलपुर (म0प्र0)

SUNIL KUMAR JAIN

Digitally signed by SUNIL KUMAR JAIN
Date: 2022.11.05 17:30:11 +0530

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010315662019-orderno-2.pdf